

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, शाहपुरा जिला भीलवाड़ा (राज०)

कै. अ. खौड़

पीठासीन अधिकारी : श्री के० आर० खौड़, आर० ए० एस०

प्रकरण संख्या

108/2017

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 128 लैण्ड रेवेन्यू एक्ट, 1956

राजस्व लोक अदालत अभियान
न्याय आपकेंदर-2017

उनवान

का. अ. खौड़

निवृत्त जाली

- प्रार्थी / प्रार्थीगण

बनाम

राजस्व लोक अदालत अभियान

निवृत्त जाली

- विपक्षी / विपक्षीगण

उपस्थित :-

श्री. अक्षय कुमार शर्मा
अभि. नं० 666 : 896

निर्णय

दिनांक 26/5/17

प्रार्थी/प्रार्थीगण की ओर से प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 128 राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम, 1956 के तहत विपक्षी/विपक्षीगण के प्रस्तुत किया गया, जिसके संक्षेप में तथ्य इस प्रकार से है :- प्रार्थी/प्रार्थीगण के ग्राम जाली तहसील शाहपुरा/ जिला भीलवाड़ा में स्थित आराजी खसरा नम्बर

69 खसरा नं० 365, 2664 खसरा नं० 1-11, 2665 खसरा नं० 1-12
2666 खसरा नं० 385 कुल किता 4 रकबा 1:96 हैक्टर का

प्रार्थी/प्रार्थीगण खातेदार/संयुक्त खातेदार काश्तकार है। वादग्रस्त भूमि के विपक्षी/विपक्षीगण पड़ोसी है। प्रार्थी/प्रार्थीगण एवं विपक्षी/विपक्षीगण के मध्य आराजी के सीमाचिन्ह नहीं होने से आये दिन सीमा संबंधी विवाद उत्पन्न होता रहता है अतः पत्थरगढ़ी कराई जावे।

प्रकरण पंजीबद्ध किया जाकर विपक्षी/विपक्षीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया। विपक्षी/विपक्षीगण बावजूद सूचना उपस्थित नहीं होने से एक तरफा कार्यवाही की जाकर बहस अभिभाषक प्रार्थी/प्रार्थीगण सुनी गई। हमने पत्रावली का एवं प्रस्तुत खाते की नकल जमाबन्दी ग्राम जाली संवत् 2074 से 2074 तक का अवलोकन किया उपरोक्त वर्णित आराजीयात के प्रार्थी/प्रार्थीगण खातेदार/संयुक्त खातेदार दर्ज होकर अपनी स्वीकार किया जाकर मौजा जाली में स्थित प्रार्थी/प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र खातेदारी/संयुक्त खातेदारी की आराजीयात किता 4 रकबा 1:96 हैक्टर की पुख्ता पत्थरगढ़ी पक्षकारान की मौजूदगी में अगर मौके पर अन्य कोई विवाद न हो व कोई प्रकरण न्यायालय में विचाराधीन न हो तो कब्जे में हस्तक्षेप नहीं करते हुए पत्थरगढ़ी किये जाने हेतु तहसीलदार शाहपुरा/ जाली को कमिश्नर नियुक्त किया जाता है। पत्थरगढ़ी हेतु कमिश्नर फीस 400 रुपये कायम किये जाते हैं जो प्रार्थी/प्रार्थीगण से तहसीलदार शाहपुरा/ जाली मौके पर प्राप्त करे। पत्थरगढ़ी मौका पर्चा पेश करे। प्रार्थी फौसल शुमार होकर नम्बर से कम हो। बाद तफसील दाखिल दफ्तर हो। को सरे इजलास सुनाया गया।



निर्णय आज दिनांक 26/5/17

(के० आर० खौड़)
उपखण्ड अधिकारी एवं
सहायक कलेक्टर
शाहपुरा (भीलवाड़ा)

प्रतिलिपि:- तहसीलदार, शाहपुरा/ जाली पास भेजकर लेख है कि मुताबिक आदेश पक्षकारान की मौजूदगी में नियमानुसार पत्थरगढ़ी की जाकर पालना रिपोर्ट शीघ्र भिजावे।

उपखण्ड अधिकारी एवं
सहायक कलेक्टर
शाहपुरा (भीलवाड़ा)